न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 35/2021

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं।
—प्रार्थी

बनाम

श्री करण सिंह पुत्र श्री जुगलाल मार्फत लकी किराना स्टोर, जाति जाट, निवासी सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 227 लीटर डीजल मय 5 प्लास्टिक ड्रम, 3 प्लास्टिक जरिकेन, लोहे के चार माप, चार प्लास्टिक कीप व ड्रम से तेल निकालने की मशीन को राजसात करने बाबत।

——

उपस्थितः—

1. श्री रामावतार, विभागीय प्रतिनिधि—प्रार्थी की ओर से।
1. अप्रार्थी— स्वयं।

आदेश

दिनांक 10.08.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विद्वान जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं की ओर से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रा0प0 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं के पद पर पदस्थापित है जो लोक सेवक की श्रेणी मे आता है। दिनांक 19.02.2021 को जरिये मुखबीर श्री श्री करण सिंह पुत्र श्री जुगलाल, जाति जाट, उम्र 35 वर्ष, निवासी सुलताना, तहसील चिडावा के द्वारा डीजल/पेट्रोल के अवैध भंडारण व बिक्री की शिकायत प्राप्त होने पर मैं कपिल झाझडिया, जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं बहमराह विकास महला, प्रर्वतन अधिकारी, बुहाना, कमल कुमार मीणा, प्रर्वतन निरीक्षक, मलसीसर जांच हेतु सुलताना, तहसील चिडावा पहुंचे। श्री करण सिंह की सुलताना मे चिडावा रोड पर किठाना तिराहे के पास **लकी किराना स्टोर** नाम से दुकान है जहां वे स्वयं उपस्थित थे। किराणा दुकान के पीछे स्वयं के नोहरे मे 220 लीटर भराव क्षमता के 5 प्लास्टिक ड्रम, 3 प्लास्टिक जरीकेन, लोहे के चार माप कमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर व 1 लीटर क्षमता के, एक प्लास्टिक कीप तथा ड्रम से तेल निकालने की एक मशीन रखे पाये। जिनकी जांच व माप करने पर दो प्लास्टिक ड्रम व एक प्लास्टिक जरीकेन मे कुल 230 लीटर डीजल भंडारित पाया। फर्द मौका व मौका नजरी नक्शा सलंग्न है। मौके पर 230 लीटर डीजल भण्डारित पाये जाने एवं बिक्री करने के साक्ष्य के रूप मे विभिन्न क्षमता के माप पाये जाने पर श्री करण सिंह पुत्र श्री जुगलाल, जाति जाट, उम्र 35 वर्ष, निवासी सुलताना, तहसील चिडावा से डीजल अपने अधिकार मे रखने व बिक्री करने के संबंध मे कोई दस्तावेज मांगे जाने पर उपलब्ध नही करवाये। बिन्दू सं0 1 से 4 के तथ्यों के आधार पर मौके पर उपलब्ध 230 लीटर डीजल मय 5 प्लास्टिक ड्रम, 3 प्लास्टिक जरिकेन, लोहे के चार माप कमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर व 1 लीटर क्षमता के, एक प्लास्टिक कीप तथा ड्रम से तेल निकालने की मशीन को मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा 2(Q)(R)व धारा 3(4)(6) का उल्लधंन पाये जाने पर धारा 7 के तहत प्रद्वत शक्तियों के अनुशरण मे जब्त सरकार किया गया व एक–एक लीटर के तीन सैम्पल तैयार कर शेष 227 लीटर डीजल मय 5 प्लास्टिक ड्रम, 3 प्लास्टिक जरिकेन, लोहे के चार माप कमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर व 1 लीटर क्षमता के, एक प्लास्टिक कीप तथा ड्रम से तेल निकालने की एक मशीन को सुरक्षा

जो दृष्टि से जांच मे सहयोग हेतु मौके पर बुलाये गये श्री किशनलाल पुत्र श्री नरपतलाल, जाति ...वाल, निवासी बडागांव, तहसील उदयपुरवाटी, उम्र 26 साल सेल्समैन कबीर साहब पेट्रोलियम सुलताना की सुपुर्दगी मे दिया गया। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री करण सिंह पुत्र श्री जुगलाल, जाति जाट, उम्र 35 वर्ष, निवासी सुलताना, तहसील चिडावा द्वारा डीजल का अवैध भंडारण एवं विक्रय कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा 2(Q)(R) व धारा 3(4)(6) का स्पष्ट उल्लधंन किया है। अतः उपर्युक्त जब्तशुदा 227 लीटर डीजल (230 मे से 3 लीटर का सैम्पल मे प्रयुक्त होने से कम करने पर) मय 5 प्लास्टिक ड्रम, 3 प्लास्टिक जरिकेन, लोहे के तीन माप क्रमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर व 1 लीटर क्षमता के, एक प्लास्टिक कीप तथा ड्रम से तेल निकालने की एक मशीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने का कष्ट करें। चूंकि डीजल एवं ज्वलनशील पदार्थ है व इसमे छीजत की संभावना है। अतः उक्त डीजल के अंतरिम निस्तारण आदेश जारी करने का भी कष्ट करें।

बहस दिनांक 01.07.2021 के दौरान अप्रार्थी ने कथन किया कि उसके द्वारा मौके पर कोई डीजल विक्रय नही किया जा रहा था। उक्त डीजल अप्रार्थी कबीर साहब पेट्रोलियम सुलताना से अपनी पिकअप गाडी मे डालने के लिए लाया था जिसका बिल सं0 4616 दिनांक 18.02.2021 है। बहस के दौरान विभागीय प्रतिनिधि ने बिल फर्जी होना बताया। उक्त बिल की जांच जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं से करवाई गई। जिला रसद अधिकारी अधिकारी, झुंझुनू द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट के अनुसार कबीर साहब पेट्रोलियम सुलताना के रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थी को बिल क्रमांक 4616 दिनांक 18.02.2021 को 230 लीटर डीजल विक्रय किया जाना पाया गया है।

दिनांक 04.08.2021 को पुनः बहस सुनी गयी। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि दिनांक 19.02.2021 को श्री करण सिंह पुत्र श्री जुगलाल, जाति जाट, उम्र 35 वर्ष, निवासी सुलताना, तहसील चिडावा की दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर दुकान मे 230 लीटर डीजल मय 5 प्लास्टिक ड्रम, 3 प्लास्टिक जरिकेन, लोहे के चार माप क्रमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर व 1 लीटर क्षमता के, एक प्लास्टिक कीप तथा ड्रम से तेल निकालने की एक मशीन रखा पाया। जिसकी जांच व मापे जाने पर ड्रम मे कुल 230 लीटर डीजल भंडारित पाया। मौके पर 230 लीटर डीजल भण्डारित पाये जाने एवं बिक्री करने के साक्ष्य के रूप मे 5 प्लास्टिक ड्रम, 3 प्लास्टिक जरिकेन, लोहे के चार माप क्रमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर व 1 लीटर क्षमता के, एक प्लास्टिक कीप तथा ड्रम से तेल निकालने की एक मशीन पाये जाने पर श्री करण सिंह पुत्र श्री जुगलाल, जाति जाट, उम्र 35 वर्ष, निवासी सुलताना, तहसील चिडावा से डीजल अपने अधिकार मे रखने व बिक्री करने के संबंध मे कोई दस्तावेज मांगे जाने पर उपलब्ध नही करवाये। इस प्रकार श्री करण सिंह पुत्र श्री जुगलाल, जाति जाट, उम्र 35 वर्ष, निवासी सुलताना, तहसील चिडावा द्वारा डीजल का अवैध भंडारण एवं विक्रय कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट आदेश 2005 की धारा 2(Q)(R) व धारा 3(4)(6) का स्पष्ट उल्लधंन किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपर्युक्त जब्तशुदा 227लीटर डीजल (230 मे से 3 लीटर का सैम्पल मे प्रयुक्त होने से कम करने पर) मय 5 प्लास्टिक ड्रम, 3 प्लास्टिक जरिकेन, लोहे के चार माप क्रमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर व 1 लीटर क्षमता के, एक प्लास्टिक कीप तथा ड्रम से तेल निकालने की एक मशीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने का कष्ट करें। चूंकि डीजल एवं ज्वलनशील पदार्थ है व इसमे छीजत की संभावना है। अतः उक्त डीजल के अंतरिम निस्तारण आदेश जारी करने का भी कष्ट करें।

अप्रार्थी बहस के दौरान विभागीय पैरोकार के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने तो डीजल का विक्रय किया है और न ही उक्त डीजल की अवैध खरीद की है। अप्रार्थी जब्तशुदा डीजल अपनी पिकअप गाडी मे डालने के लिए लाया गया था। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थी के विरूद्व की जा रही कार्यवाही को ड्रोप फरमाया जावे तथा प्रार्थी का जप्त शुदा डीजल प्रार्थी को अतिशीघ्र दिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

(25)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया तथा वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों का भी मनन किया। प्रकरण में प्रार्थी जिला रसद अधिकारी झुंझुनू द्वारा दिनांक 19.02.2021 को अप्रार्थी श्री करण सिंह पुत्र श्री जुगलाल की सुलताना में चिड़ावा रोड़ पर किठाना तिराहे के पास ''लकी किराना स्टोर'' के पिछे उनके स्वयं के नोहरे के निरीक्षण के दौरान 230 लीटर डीजल मय 5 प्लास्टिक ड्रम व 3 प्लास्टिक जरीकेन, लोहे के चार माप क्रमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर व 1 लीटर क्षमता के, एक प्लास्टिक कीप तथा ड्रम से तेल निकालने की एक मशीन को जप्त किया गया है। जिसके संबंध में अप्रार्थी का तर्क यह रहा है कि उक्त जप्त 230 लीटर डीजल वह अपनी गाड़ी में डालने हेतु सुलताना के पेट्रोल पम्प से लाया था,जिसकी रसीद भी है। उसके द्वारा डीजल का न तो अवैध बेचान किया गया है और न ही अवैध रूप से खरीद की गई है। विभागीय पैरोकार ने तर्क प्रस्तुत किया है कि जप्त 230 लीटर डीजल के साथ लोहे के चार माप क्रमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर व 1 लीटर क्षमता के माप भी थे, एक कीप तथा ड्रम से तेल निकालने के लिऐ एक मशीन भी है। इससे साफ है कि अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से डीजल का बेचान करने हेतु डीजल का भण्डारण किया गया था।

प्रकरण में जप्ती की कार्यवाही की फर्द मौका में अंकन है कि '' श्री करण सिंह पुत्र श्री जुगलाल जाति जाट उम्र 35 साल निवासी सुलताना कोई संतोष जनक जबाब नहीं दे पाए तथा ना ही मौके पर उक्त मात्रा में डीजल को अपने अधिकार में रखने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया व न ही डीजल खरीद के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर प्रस्तुत किया।'' इस फर्द पर स्वयं अप्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये है। इससे साफ है कि जप्ती की कार्यवाही दिनांक 19.02.2021 को अप्रार्थी के पास उक्त जप्त डीजल के स्वामित्व का कोई दस्तावेज नहीं था। अप्रार्थी द्वारा जप्ती की कार्यवाही के बाद साक्ष्य बनाये है, जो मान्य नहीं है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रसीद के जांच अधिकारी श्री रामावतार प्रवर्तन निरीक्षक, झुंझुनू ने रिकार्ड के विरूद्ध जाकर साक्ष्य बनाने में सहयोग दिया है, जिनसे इस संबंध में स्पष्टीकरण लिया जावें।

अप्रार्थी के इस कृत्य से राजस्व हानि के साथ – साथ पैट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण से आमजन की सुरक्षा को होने वाले खतरों से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही अप्रार्थी के पास पाये गये विभिन्न माप भी विचार का विषय है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निम्न निर्देश दिये जाते है यथा :–

1. जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह 230 लीटर डीजल मय 5 प्लास्टिक ड्रम व 3 प्लास्टिक जरीकेन, लोहे के चार माप क्रमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर व 1 लीटर क्षमता के, एक प्लास्टिक कीप तथा ड्रम से तेल निकालने की एक मशीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लॉज 2 के बिन्दु 1 के तहत नियंत्रित कीमत पर विक्रय करवाकर राशि को राजकोष में जमा करें।
2. कार्यालय हाजा के संस्थापन शाखा के प्रभारी को निर्देशित किया जाता है वह प्रकरण के संबंध में श्री रामावतार प्रवर्तन निरीक्षक झुंझुनू के विरूद्ध कारण बताओं नोटिस जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनू तथा प्रभारी संस्थापन शाखा को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 10.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/08/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं